प्रेस नोट

दिनांक 06.09.2026

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साइबर सेल गोण्डा द्वारा साइबर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशाला/प्रशिक्षण बैठक आयोजित

साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने तथा साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न पोर्टलों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग के उद्देश्य से **साइबर सेल गोण्डा** द्वारा जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त साइबर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साइबर कार्यशाला/प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। कार्यशाला में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों की सहायता के साथ-साथ साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निस्तारण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से निम्न पोर्टलों के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई—

1. MRM Portal (Money Recovery Module): साइबर फ्रॉड में पीड़ित के खाते से ठगी गई धनराशि को संबंधित बैंकिंग चैनल के माध्यम से होल्ड/फ्रीज कराने तथा नियमानुसार पीड़ित को धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित की धनराशि की रिकवरी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

2. GRM Portal (Grievance Redressal Module): साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों एवं पीड़ितों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग तथा नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई।

3. NCRP Portal: National Cyber Crime Reporting Portal पर प्राप्त साइबर अपराध संबंधी शिकायतों की समयबद्ध जांच, आवश्यक कार्रवाई एवं शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

4. JMIS Portal: साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग, आवश्यक विवरणों के अद्यतन एवं प्रकरणों की प्रगति की निगरानी हेतु JMIS पोर्टल के उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई।

5. Pratibimb Portal: साइबर अपराधों में प्रयुक्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों एवं अन्य डिजिटल सूचनाओं का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान तथा उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में Pratibimb Portal के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

6. OCWC Complaints: OCWC Complaints पर प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से मॉनिटरिंग, त्वरित जांच एवं नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

7. NCMEC Complaints: NCMEC से प्राप्त बाल यौन शोषण संबंधी ऑनलाइन सामग्री/शिकायतों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्रवाई करने तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यशाला में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए घटना के बाद की कार्रवाई के साथ-साथ **साइबर जागरूकता को प्राथमिकता** देने पर विशेष जोर दिया गया। सभी थानों पर नियुक्त साइबर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि **प्रत्येक बुधवार** थाना क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों, तहसीलों, पंचायत भवनों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए।

जागरूकता कार्यक्रमों में विशेष रूप से **OTP फ्रॉड, UPI फ्रॉड, फर्जी KYC, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी कस्टमर केयर, ऑनलाइन निवेश/ट्रेडिंग फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, फर्जी लिंक एवं अन्य ऑनलाइन ठगी** से बचाव के उपायों की जानकारी आमजन को दी जाएगी। कार्यशाला में साइबर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में पीड़ित को **तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930** पर शिकायत दर्ज कराने तथा **National Cyber Crime Reporting Portal – cybercrime.gov.in** पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यापक रूप से जागरूक किया जाए।

गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने तथा जनपद में साइबर जागरूकता को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 06.09.2026

रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में वामा वेलनेस कैम्प के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सेवाएं–

गोण्डा। आज दिनांक 06.09.2026'' को प्रातः 9:00 बजे से 01:00 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित ''अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल'' में ''वामा वेलनेस कैम्प'' के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होम्योपैथिक एवं जिला अस्पताल की चिकित्सकीय टीम द्वारा पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना रहा। शिविर के दौरान चिकित्सकों द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर में एलोपैथिक चिकित्सक डॉ0 शिवपाल मौर्य, फार्मासिस्ट ऋषभ श्रीवास्तव, एल0टी0 आयुषी श्रीवास्तव, ''होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ0 जितेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट ननकू सिंह सहित चिकित्सकीय टीम द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गईं। चिकित्सकीय टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के साथ–साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, समय–समय पर स्वास्थ्य जांच कराने तथा संतुलित जीवनशैली अपनाने के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दिया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पुलिस बल के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, पुलिसकर्मियों को स्वस्थ एवं कार्यक्षम बनाए रखना तथा उनके कल्याण से संबंधित सुविधाओं को प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना है। शिविर में उपस्थित पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकीय टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.09.2026</u>

''ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से दोषी अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं ₹25,000/– के अर्थदण्ड की सजा''

घटना का विवरण–

दिनांक 22.09.2000 को गोण्डा प्रधान डाकघर में सहायक खजांची प्रथम के पद पर तैनात सोम प्रकाश जायसवाल द्वारा ₹10/– मूल्य वर्ग के डाक टिकटों का एक पैकेट प्रयोग हेतु खोला गया। पैकेट की जांच करने पर उसमें ₹10/– मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 13 शीट ऊपर तथा 07 शीट नीचे और बीच में ₹1/– मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 180 शीट पाई गईं। इस प्रकार पैकेट में कुल ₹28,000/– मूल्य के डाक टिकट ही पाए गए, जबकि पैकेट में ₹1,00,000/– मूल्य के डाक टिकट होने चाहिए थे। जांच में कुल ₹72,000/– मूल्य के डाक टिकट कम पाए गए। विभागीय जांच के दौरान सहायक खजांची प्रथम सोम प्रकाश जायसवाल द्वारा अपने बयान में बताया गया कि उक्त पैकेट उन्हें दिनांक 03.07.2000 को तत्कालीन सहायक खजांची रामतेज पाण्डेय से बंद हालत में चार्ज के रूप में प्राप्त हुआ था। विभागीय जांच में डाक टिकटों के स्टाम्प रजिस्टर की जांच करने पर यह भी पाया गया कि विभिन्न मूल्य वर्ग के डाक टिकटों के अवशेष में अनियमित रूप से हेरफेर किया गया था तथा बिना किसी प्राप्ति, प्रेषण अथवा बिक्री के डाक टिकटों के मूल्य वर्ग के अवशेष में परिवर्तन किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा पर मु0अ0सं0 375/2001 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 201, 218 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त अभियुक्त रामतेज पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम एवं त्वरित दण्ड दिलाए जाने के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना को0 नगर पर पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, पीओ श्री प्रभात श्रीवास्तव, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं थाना को0 नगर के पैरोकार का0 बृकेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.09.2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा श्री अमित सिंह द्वारा दोषी अभियुक्त ''रामतेज पाण्डेय'' को दोषसिद्ध करते हुए ''07 वर्ष के कारावास एवं ₹25,000/– के अर्थदण्ड'' से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण–

1. रामतेज पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर पाण्डेय, निवासी शाहजोत, थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0– 375/2001, धारा ''409, 419, 420, 467, 468, 471, 201, 218 भादवि, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.09.2026</u>

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस झपटमारी की घटना कारित करने के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से ₹55,150/- नकद बरामद-

कार्यवाही-

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 523/2026 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सत्यम सिंह को आज दिनांक 06.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित ₹55,150/- नगद बरामद हुए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2026 को वादी राजकुमार शुक्ला पुत्र चन्द्रमणि शुक्ला निवासी ग्राम भवानीपुर, पोस्ट चाँदोपारा, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज अपनी कार से थाना को0 करनैलगंज क्षेत्र में एक वाहन देखने के लिए आए थे। करनैलगंज कस्बे में अपनी कार खड़ी कर पैदल सकरौरा ग्रामीण की तरफ जाते समय सरजू बालिका इंटर कॉलेज के पास पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा उनका बैग झपट्टा मारकर छीन लिया गया तथा अभियुक्त सकरौरा की तरफ भाग गए। बैग में आवश्यक कागजात एवं 01 लाख रुपये नगद रखे हुए थे। घटना के संबंध में वादी द्वारा दिनांक 28.08.2026 को थाना को0 करनैलगंज पर सूचना दी गई। घटना के संबंध में थाना को0 करनैलगंज पर मु0अ0सं0 523/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तों-01. आशु मिश्रा, 02. आशुतोष सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें वांछित चल रहे सत्यम मिश्रा को आज दिनांक 06.09.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा नारायनपुर माझा पोतेदार पुरवा की तरफ जाने वाली सड़क मोड़ के पास प्राथमिक विद्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 55,150/- रू0 नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सत्यम सिंह पुत्र हरिकेश सिंह, निवासी चकरीत, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 523/2026 धारा 304(2), 317(2), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. ₹55,150/- नगद, घटना से सम्बन्धित।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा
2. हे0का0 कमलेश वर्मा
3. का0 प्रमोद कुमार
4. का0 भगवान प्रसाद शुक्ला
5. का0 धीरेन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।